

(A-4)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी

Encl. 2/1 ✓

बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

E-mail id - deobalodabazar12@gmail.com

क्रमांक/मान्यता/2018/1601
प्रति,

बलौदाबाजार दिनांक 20.3.1

अंबुजा विद्या पीठ खान

अस्थाई मान्यता सत्र 2018-19

समिति अंबुजा विद्या पीठ समिति रायपुर

मान्यता क्रमांक - 207/269

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये, निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

—000—

महोदय/महोदया

आपका आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2017 के सदर्थ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती

पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त अंबुजा विद्या पीठ खान (विद्यालय का नाम

पता सहित) को तारीख 01.04.2018 से 31.03.2019 तक एक वर्ष की अवधि के लिए, कक्षा L.K.G. से 12वीं तक (माध्यम अंग्रेजी माध्यम) के लिए निम्नांकित शर्तों के अधिन अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है:-

- मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009(परिशिष्ट-दो) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परन्तु यह भी पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूरियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसायटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्किसत नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है।
 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
 - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-

Principal

Ambuja Vidya Peeth

Vill. & Post-Rawan 493-331

Deobaloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

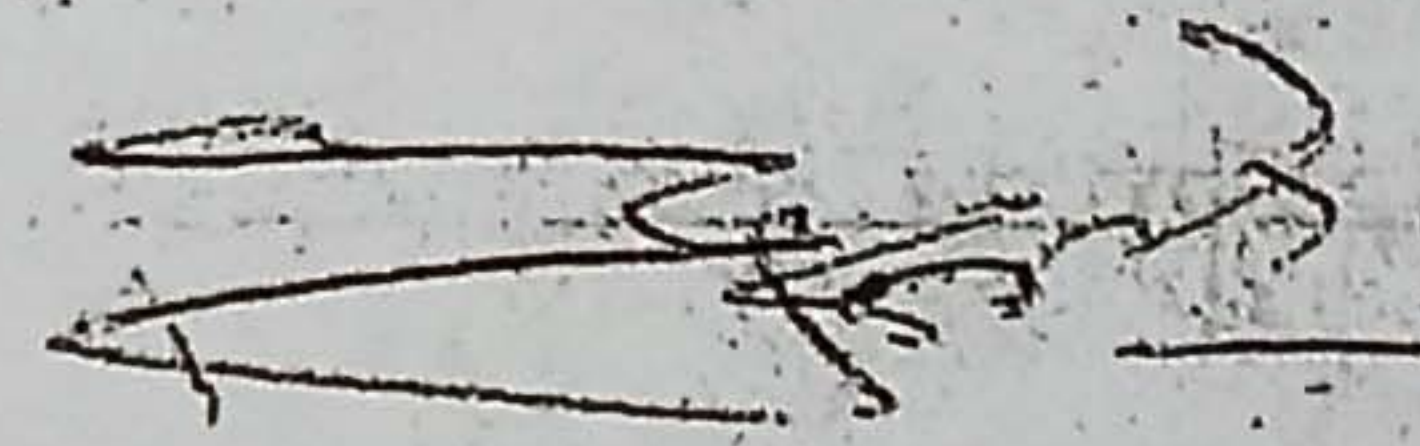
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग.

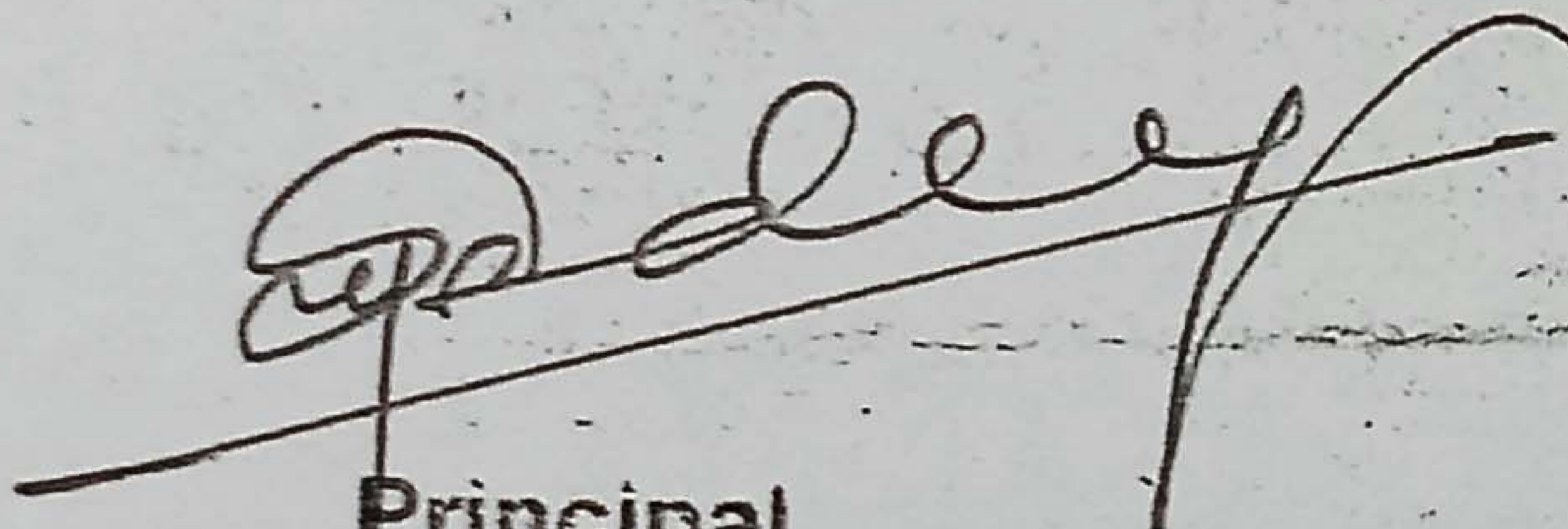
क्रमांक / अशा. / मान्यता / 2014.15 /
प्रतिलिपि:

1305 बलौदाबाजार दिनांक 26/3/2

1. सचिव, छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय रायपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.रायपुर को संदर्भित पत्र के परिपालन में सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी को सूचनार्थ।
5. जिले में संचालित समस्त अशासकीय शिक्षण संस्था सी.बी.एस.सी. / आई.सी.एस.ई. एवं अन्य बोर्ड से संचालित अशासकीय शालाओं को सूचनार्थ।

(अंबुजा विद्यापीठ खान)
वि०ख०ब०ब०ब०


जिला शिक्षा अधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा


Principal
Ambuja Vidya Peeth
V.H.&Post-Rawan 493-331
Dist.Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)